PLUTUS IAS
UPSC/ PCS

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

7/10/2024 से 13/10/2024 तक

कार्यालय

दूसरी मंज़िल, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6, नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutsias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

1. भारत- फ्राँस सामरिक वार्ता : क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा की नई दिशा और प्रभाव 1
2. भारत में मंदिरों पर राज्य का नियंत्रण बनाम धार्मिक पहचान एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ 3
3. आर्थिक स्थिरता की ओर : मौद्रिक नीति समिति की 10वीं बैठक 6
4. समानता का प्रश्न : घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का दुरुप-योग बनाम धारा 498A 10
5. महिलाओं में होने वाले ओवेरियन कैंसर : लक्षण, निदान और उपचार 13
6. प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 16

PLUTUS IAS

भारत- फ्राँस सामरिक वार्ता : क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा की नई दिशा और प्रभाव

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, भारत और फ्राँस के बीच एक महत्वपूर्ण सामरिक वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें फ्राँसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की।
- इस महत्वपूर्ण सामरिक बैठक में भारत के शांति प्रयासों की सराहना की गई और वैश्विक कूटनीति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी चर्चा की गई।
- फ्राँसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने वैश्विक स्तर पर बदलती भू-राजनीति के संदर्भ में भारत के शांति प्रयासों की प्रशंसा की, जो भारत की बढ़ती कूटनीतिक स्थिति को दर्शाता है।
- भारत और फ्राँस के बीच हुए इस वार्ता में राफेल-एम लड़ाकू विमानों की लागत में कमी लाने और सैन्य क्षमताओं को सुदृढ़ करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
- यह सामरिक वार्ता भारत और फ्राँस के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो दोनों देशों की रक्षा और सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक साबित होगी।

इस सामरिक वार्ता की मुख्य बातें :

1. **होराइज़न 2047 प्रतिबद्धता :** भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) ने भारत की होराइज़न 2047 पहल के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई, जिसका उद्देश्य भारत-फ्राँस संबंधों को मज़बूत करना है।
2. **रूस-यूक्रेन संघर्ष में भारत की मध्यस्थता की भूमिका और शांति पहल को मान्यता देना :** फ्राँसीसी राष्ट्रपति ने रूस-यूक्रेन संघर्ष में भारत की मध्यस्थता की भूमिका को स्वीकारते हुए शांति स्थापना में भारत-फ्राँस के प्रयासों की सराहना की।
3. **द्विपक्षीय रक्षा एवं अंतरिक्ष सहयोग :** फ्राँसीसी सशस्त्र बल के साथ वार्ता में राफेल मरीन जेट, स्कॉर्पीन पनडुब्बियाँ और राफेल जेट में स्वदेशी हथियारों के एकीकरण पर चर्चा हुई। इसके साथ – ही साथ फ्रांस और भारत के साथ रक्षा संबंधों को सुदृढ़ करने और अंतरिक्ष सहयोग को और अधिक विस्तार देने पर जोर दिया गया।
4. **होराइजन 2047 रोडमैप :** यह पहल 2047 तक फ्रांस-भारत संबंधों का एक विस्तृत रोडमैप तैयार करने पर केंद्रित है। यह वर्ष भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष, राजनयिक संबंधों की एक शताब्दी और भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।
5. **वर्ष 2047 तक भारत और फ्राँस के बीच के द्विपक्षीय संबंधों के लिए रोडमैप की रूपरेखा :** इस पहल से 2047 तक भारत और फ्राँस के बीच के द्विपक्षीय संबंधों के लिए उस रोडमैप की रूपरेखा तय की गई है, जिसमें रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन, साइबरस्पेस, डिजिटल प्रौद्योगिकी, आतंकवाद-रोधी, समुद्री सुरक्षा, संयुक्त रक्षा अभ्यास और नीली अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने का उद्देश्य है।

भारत और फ्राँस के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र :

1. **रक्षा साझेदारियाँ :** फ्राँस ने भारत को कई प्रमुख रक्षा प्रणालियाँ प्रदान की हैं, जिसमें राफेल विमानों का सौदा और 26 मरीन विमानों की खरीद शामिल हैं। इसके अलावा, फ्राँस ने तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत को छह स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियाँ बनाने में सहायता की है, और अब तीन और पनडुब्बियों की खरीद की प्रक्रिया चल रही है।
2. **रणनीतिक साझेदारी :** भारत और फ्राँस के बीच गहन सांस्कृतिक, व्यापारिक और आर्थिक संबंध हैं। वर्ष 1998 में स्थापित इस रणनीतिक साझेदारी ने विभिन्न क्षेत्रों में घनिष्ठ और बहुआयामी संबंध विकसित किए हैं।
3. **समुद्री और सामुद्रिक सहयोग :** भारत और फ्राँस के बीच समुद्री सहयोग नीली अर्थव्यवस्था और महासागरीय शासन

पर आधारित है, जिसे वर्ष 2022 में अपनाया गया था।

4. **भारत और फ्राँस के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास :** भारत और फ्राँस दोनों देशों के बीच विभिन्न संयुक्त अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, जिसमें अभ्यास शक्ति (थल सेना), अभ्यास वरुण (नौसेना), और अभ्यास गरुड़ (वायु सेना) शामिल है।

5. **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के तहत आर्थिक सहयोग :** फ्राँस भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का एक प्रमुख स्रोत है, जहाँ 1,000 से अधिक फ्राँसीसी कंपनियाँ कार्यरत हैं। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 तक फ्राँस ने 10.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI योगदान दिया है। जिससे यह भारत में 11वें सबसे बड़े विदेशी निवेशक के रूप में स्थान बना रहा है।

6. **असैन्य परमाणु सहयोग :** वर्ष 2008 में असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। फ्राँस जैतापुर परमाणु विद्युत परियोजना के विकास में शामिल है। इसके अतिरिक्त, दोनों देश शोर्ट मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर (AMR) पर साझेदारी कर रहे हैं।

भारत – फ्राँस संबंधों की मुख्य चुनौतियाँ :

1. **दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) में ठहराव उत्पन्न होना :** भारत और फ्राँस के बीच मुक्त व्यापार समझौते का अभाव उनकी व्यापारिक क्षमता को पूरी तरह से उपयोग करने में बाधा उत्पन्न करता है।

2. **रक्षा और सुरक्षा प्राथमिकताओं में भिन्नता का होना :** भारत और फ्राँस दोनों ही देशों में मजबूत रक्षा साझेदारी के बावजूद, दोनों देशों के बीच की विभिन्न प्राथमिकताएँ कभी-कभी एक दूसरे के दृष्टिकोण में मतभेद उत्पन्न कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, भारत का गुटनिरपेक्ष रुख और क्षेत्रीय दृष्टिकोण फ्राँस के वैश्विक हितों के साथ टकरा सकता है, जैसा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष पर उनके भिन्न दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है।

3. **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) संबंधी चिंताएँ :** फ्राँस ने भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण की कमी पर चिंता व्यक्त की है। यह स्थिति फ्राँसीसी व्यवसायों के लिए असहज माहौल उत्पन्न करती है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फलतः भारत और फ्राँस के बीच द्विपक्षीय व्यापार के लिए अनुकूल माहौल नहीं बनाता है।

4. **मानव तस्करी की चिंताएँ :** हाल की घटनाओं में , जैसे निकारागुआ विमान द्वारा मानव तस्करी जैसे संगठित अपराध ने अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए मजबूत सहयोग की आवश्यकता को उजागर किया है। यह व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय है।

5. **वीज़ा संबंधी बाधाएँ उत्पन्न होना :** भारतीय संवाददाताओं ने हाल के वर्षों में सख्त वीज़ा प्रतिबंधों की शिकायत की है। इससे उनकी रिपोर्टिंग और कवरेज में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं, जो दोनों देशों के बीच संवाद को प्रभावित कर सकती हैं।

6. **फ्राँस में भारतीय उत्पादों के लिए बाधाएँ और अवरोध उत्पन्न होना :** भारत को सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) उपायों के कारण फ्राँस को निर्यात करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जो भारतीय उत्पादों को फ्राँसीसी बाजार में प्रवेश करने से हतोत्साहित कर सकता है। जिससे इन दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय व्यापार में रुकावट आती है। इन चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है ताकि भारत-फ्राँस संबंधों को और अधिक मजबूत बनाया जा सके और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

समाधान / आगे की राह :

- **अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संतुलित करने में योगदान देना :** भारत और फ्राँस मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संतुलित करने और आपस में द्विपक्षीय निर्भरताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

- **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मजबूत करना :** भारत और फ्राँस दोनों ही देशों के बीच बढ़ता इंडो-पैसिफिक ढाँचा उनके द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहा है, खासकर हिंद महासागर में फ्राँस के ठिकानों और क्षेत्रों के कारण, जो इस क्षेत्र की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- **रक्षा उत्पादन में आपसी साझेदारी को विकसित और सुदृढ़ करना :** फ्राँस भारत की घरेलू हथियार उत्पादन की योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे निजी और विदेशी निवेश में वृद्धि हो रही है।

- **नए सहयोग क्षेत्र को विकसित करना :** कनेक्टिविटी, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, भारत और फ्राँस के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग से

दोनों देशों को लाभ होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता में योगदान मिलेगा।

- इन पहलों के माध्यम से, दोनों देश न केवल अपने सामरिक हितों को सुदृढ़ कर सकते हैं, बल्कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में भी सक्षम होंगे। इस प्रकार, भारत और फ्राँस का सहयोग केवल द्विपक्षीय नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता को भी बढ़ावा देगा।

स्रोत – पीआईबी एवं द हिंदू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत और फ्राँस के बीच सामरिक वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसमें किस क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया गया है?

1. व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना और साइबर सुरक्षा।
2. क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करना और समुद्री सुरक्षा।
3. मानवाधिकार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान करना।
4. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण।

उत्तर- क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करना और समुद्री सुरक्षा।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत – फ्राँस सामरिक वार्ता का दक्षिण एशिया और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर प्रभाव का विश्लेषण करते हुए यह चर्चा कीजिए कि यह सामरिक वार्ता कैसे क्षेत्रीय शक्तियों के संतुलन को प्रभावित कर रही है? इसके साथ ही, भारत और फ्राँस के बीच सामरिक सहयोग को वैश्विक सुरक्षा के संदर्भ में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखा जा सकता है?

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत में मंदिरों पर राज्य का नियंत्रण बनाम धार्मिक पहचान एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में तिरुपति लड्डू प्रसादम पर हुए विवाद ने भारत में मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है।
- तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में चढ़ाए जाने वाले पवित्र प्रसाद के रूप में तिरुपति लड्डू को लेकर विवाद हुआ, जिसमें लड्डुओं में मिलावटी घी पाए जाने का आरोप लगा।
- इस घटना ने मंदिरों को सरकारी हस्तक्षेप और नियंत्रण से मुक्त करने की मांग को फिर से जोर-शोर से उठाया है।
- स्वतंत्रता के बाद, तमिलनाडु (तब मद्रास) राज्य ने मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण के लिए कानून बनाया, जो बाद में अन्य राज्यों में भी लागू हुआ।
- वर्तमान में, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसे कानून हैं।
- भारत में कई हिंदू धार्मिक संगठन मंदिरों को दुधारू गायों और गैर-प्रतिनिधि मंदिर बोर्डों के रूप में देखते हैं। जिससे इन कानूनों की आलोचना होती रही है।
- भारत में मंदिरों पर राज्य का नियंत्रण एक विवादास्पद मुद्दा है, जिसमें धर्म और राज्य के पृथक्करण, धार्मिक स्व-तंत्रता और धार्मिक संस्थाओं के अपने मामलों का प्रबंधन करने के अधिकारों पर बहस शामिल होती है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

भारत में मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण का ऐतिहासिक संदर्भ :

- भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान, कई मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लाया गया। ब्रिटिश प्रशासन ने स्थानीय मंदिर प्राधिकारियों के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का हवाला देते हुए, मुख्यतः प्रशासनिक कारणों से हिंदू मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था।
- सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भी भारत के कई राज्यों ने इस प्रणाली को जारी रखा।
- फलतः भारत के कई प्रमुख मंदिर, विशेष रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में, प्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण में आ गए।
- जिससे वहां की सरकारें मंदिर के कोष का प्रबंधन करती हैं, ट्रस्टियों की नियुक्ति करती हैं और हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआरसीई) विभाग के माध्यम से प्रशासनिक निर्णय लेती हैं।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 30 लाख पूजा स्थलों में से अधिकांश हिंदू मंदिर हैं।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(2) के तहत, राज्य को धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करने और सामाजिक कल्याण, सुधार और हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने के लिए कानून बनाने की अनुमति है।
- धार्मिक बंदोबस्ती और संस्थानों को संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जो केंद्र और राज्यों दोनों को इस विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि मंदिरों पर राज्य का नियंत्रण एक ऐतिहासिक और संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय :

- भारत की न्यायपालिका ने मंदिरों के प्रबंधन के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में राज्य के अधिकार को मान्यता दी है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य का नियंत्रण सीमित और पारदर्शी होना चाहिए।

- **शिरूर मठ मामला (1954) :** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य मंदिर प्रबंधन के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को विनियमित कर सकता है, लेकिन धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस निर्णय ने राज्य और धर्म के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिरों के प्रबंधन में राज्य के सीमित हस्तक्षेप को स्वीकार किया है, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा भी की है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए प्रशासनिक पहलुओं पर राज्य की भूमिका को मान्यता दी गई है।

भारत में मंदिरों पर राज्य का नियंत्रण होने के पक्ष में तर्क :

- भारत में मंदिरों पर राज्य का नियंत्रण होने के पक्ष में कई तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, जो मंदिर प्रबंधन में पारदर्शिता, संसाधनों का उचित उपयोग और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं।
- **मंदिर कुप्रबंधन की रोकथाम :** राज्य का नियंत्रण मंदिर निधि के प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाता है और दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार के जोखिम को कम करता है। सरकारी निगरानी से इन निधियों का जिम्मेदार और नैतिक प्रबंधन सुनिश्चित होता है।
- **व्यावसायीकरण से सुरक्षा :** सरकारी भागीदारी का उद्देश्य मंदिर निधियों के व्यावसायीकरण और शोषण को रोकना है, जिससे मंदिरों की पवित्रता और उद्देश्य बनाए रखा जा सके।
- **लैंगिक समानता को बढ़ावा देना :** राज्य द्वारा मंदिरों का प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि सभी भक्तों को समान रूप से मंदिरों की सेवाएँ और संसाधन प्राप्त हों। उदाहरण के लिए, त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के समान प्रवेश का समर्थन किया था।

- **संसाधनों का पुनर्वितरण :** मंदिरों से उत्पन्न राजस्व को राज्य की पहलों की ओर पुनर्निर्देशित किया जाता है, जो व्यापक समुदाय को लाभान्वित करते हैं, जैसे कि बुनियादी ढांचा विकास या सामाजिक कल्याण कार्यक्रम। तमिलनाडु का HRCE विभाग मंदिर निधियों का उपयोग सामुदायिक विकास कार्यक्रमों जैसे कि स्कूल, कॉलेज और अस्पताल स्थापित करने के लिए करता है।
- **धार्मिक और सांस्कृतिक समावेशिता :** राज्य नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि मंदिर संवैधानिक समावेशिता के सिद्धांतों का पालन करें। तमिलनाडु में, HRCE विभाग ने कई मंदिरों में दलितों और पिछड़े समुदायों के लिए प्रवेश सुनिश्चित किया है।
- **भक्तों के शोषण की रोकथाम :** राज्य नियंत्रण का उद्देश्य भक्तों को मंदिर अधिकारियों द्वारा शोषण से बचाना है, जैसे अनुष्ठानों के लिए अत्यधिक शुल्क लेना। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मंदिरों में अनुष्ठानों और प्रसाद के लिए शुल्क पर दिशा-निर्देश स्थापित किए गए हैं।

भारत में मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण के विपक्ष में तर्क :

- **भेदभावपूर्ण नीति एवं धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विरुद्ध होना :** आलोचकों का मानना है कि सरकार कई राज्यों में हिंदू मंदिरों को नियंत्रित करती है, जबकि मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे अपने मामलों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करते हैं। यह भेदभावपूर्ण नीति धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विरुद्ध है।
- **कुप्रबंधन और नौकरशाही की अक्षमता :** सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड या अधिकारियों में अक्सर मंदिर के मामलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता, प्रतिबद्धता या धार्मिक समझ की कमी होती है। इससे मंदिर के मामलों में कुप्रबंधन और नौकरशाही की अक्षमता होती है। उदाहरण के लिए – हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HRCE) पर भ्रष्टाचार और खराब प्रशासन के आरोप लगे हैं।
- **मंदिर के फंड का डायवर्जन :** धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के लिए मंदिर के फंड का डायवर्जन भक्तों द्वारा विरोध किया जाता है। यह धार्मिक फंड के अनुचित उपयोग का एक प्रमुख उदाहरण है।
- **मंदिर की विरासत और परंपराओं का क्षरण :** राज्य द्वारा लागू प्रशासनिक मानदंड मंदिर प्रबंधन के आध्यात्मिक और अनुष्ठानिक पहलुओं के साथ संरेखित नहीं होते, जिससे मंदिर की विरासत और परंपराओं का क्षरण होता है। उदाहरण के लिए – सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश का समर्थन मंदिर की अनुष्ठानिक परंपराओं के विपरीत है।
- **भक्तों के भरोसे और भागीदारी में कमी :** नौकरशाही नियंत्रण के कारण मंदिर प्रबंधन में भक्तों की भागीदारी कम हो जाती है, जिससे भक्तों का भरोसा भी घटता है।
- **मंदिर की संपत्तियों का आर्थिक कुप्रबंधन :** तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में निजी व्यक्तियों या सरकारी संस्थाओं द्वारा मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण के कई मामले सामने आए हैं, जिससे मंदिर के संसाधनों का आर्थिक कुप्रबंधन होता है।
- **निजी ट्रस्टों के माध्यम से बेहतर प्रबंधन :** आलोचकों का तर्क है कि महाराष्ट्र में शिरडी साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट जैसे राज्य के नियंत्रण में नहीं आने वाले मंदिर सफलतापूर्वक धर्मार्थ अस्पताल, स्कूल और सामुदायिक कार्यस्क क्रम चलाते हैं। इन तर्कों के आधार पर, मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण को समाप्त करने की मांग की जाती है ताकि धार्मिक स्वतंत्रता और मंदिरों की स्वायत्तता सुनिश्चित की जा सके।

समाधान / आगे की राह :

- **सरकार को केवल निगरानी से संबंधित कार्य करने की जरूरत :** स्थानीय धार्मिक नेताओं, समुदाय के प्रतिनिधियों और कानूनी या वित्तीय विशेषज्ञों से युक्त स्वतंत्र मंदिर ट्रस्टों की स्थापना की जानी चाहिए। सरकार को केवल निगरानी कार्य करना चाहिए। उदाहरण के लिए, स्वर्ण मंदिर का प्रबंधन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) द्वारा किया जाता है, जो राज्य के नियंत्रण से स्वतंत्र है।
- **मंदिर के धन में पारदर्शिता और जवाबदेही :** एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा निकाय द्वारा मंदिरों का नियमित वित्तीय लेखा परीक्षण किया जाना चाहिए और मंदिर के धन का सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य होना चाहिए।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **भक्त परिषदों का गठन :** मंदिर के प्रबंधन, अनुष्ठानों और त्योहारों पर सलाह देने के लिए भक्तों और समुदाय के नेताओं से युक्त स्थानीय परिषदों का गठन किया जा सकता है। इससे समुदाय को मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करने का अधिकार मिलेगा।
- **सरकार की भूमिका :** राज्य की भूमिका प्राचीन मंदिरों की विरासत और वास्तुकला को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार संरक्षक की होनी चाहिए। अतः सरकार को प्रबंधक नहीं, बल्कि प्राचीन मंदिरों की विरासत की संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए।
- **धार्मिक नेताओं के साथ सहयोग :** धार्मिक नेताओं के साथ सहयोग से मंदिर के धन का उपयोग सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में किया जा सकता है, जिससे उस धन का उपयोग सार्वजानिक स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए हो सके।

स्त्रोत – पीआईबी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण और धार्मिक पहचान के बीच संतुलन बनाने के लिए किन तरीकों को अपनाया जा सकता है?

1. स्थानीय निकायों को अधिक स्वायत्तता देना।
2. सरकार के हस्तक्षेप को बढ़ावा देना।
3. पारदर्शी नीतियों का निर्माण करना।
4. आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

उपरोक्त में से कौन सा कूट सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. केवल 1 और 4

D. केवल 2 और 3

उत्तर- A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारतीय संविधान में धर्म और राज्य के बीच के संबंधों से संबंधित प्रावधानों और मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण की वैधता पर टिप्पणी करते हुए, यह चर्चा कीजिए कि मंदिरों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान एवं राज्य के नियंत्रण के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

आर्थिक स्थिरता की ओर : मौद्रिक नीति समिति की 10वीं बैठक

खबरों में क्यों ?

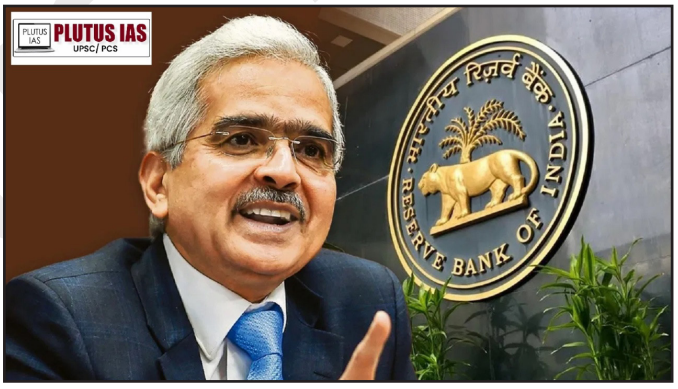

- हाल ही में, 9 अक्टूबर 2024 (बुधवार) को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) ने लगातार 10वीं बार नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में से पांच सदस्यों ने इस निर्णय के पक्ष में मतदान किया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है।

मौद्रिक नीति क्या होता है ?

- मौद्रिक नीति एक व्यापक आर्थिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाने या

घटाने के लिए और अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए करते हैं, ताकि कुछ विशिष्ट आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

- इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मौद्रिक नीति का संचालन करता है।
- मौद्रिक नीति के माध्यम से, केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में ऋण की उपलब्धता को विनियमित करता है और आर्थिक नीति के अंतिम उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण :

मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरणों में निम्नलिखित शामिल होते हैं –

1. **रेपो दर :** वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है।
2. **रिवर्स रेपो दर :** वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से अतिरिक्त नकदी को अवशोषित करता है।
3. **नकद आरक्षित अनुपात (CRR) :** वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है।
4. **वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) :** वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत तरल संपत्तियों में निवेश करना होता है।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) की पृष्ठभूमि :

- मौद्रिक नीति समिति (MPC) की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत भारत की मौद्रिक नीति निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए की गई थी।
- मौद्रिक नीति समिति (MPC) की स्थापना से पहले, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर सभी महत्वपूर्ण ब्याज दर को निर्धारित करने का निर्णय अपने विवेक के आधार पर लेते थे।

संरचना और उद्देश्य :

- मौद्रिक नीति समिति (MPC) का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए मुद्रास्फीति को एक निर्धारित लक्ष्य के भीतर बनाए रखना है।
- संशोधित (वर्ष 2016 में) RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन करने का अधिकार है।
- पहली बार इसका गठन 29 सितंबर, 2016 को किया गया था।
- भारत में इस समिति का गठन उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।
- मौद्रिक नीति समिति (MPC) में कुल छह सदस्य होते हैं, जिनमें से तीन सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक से और तीन केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत बाहरी सदस्य होते हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।
- वर्तमान में, राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार नए बाहरी सदस्यों के रूप में नियुक्त किये गए हैं और कार्यरत हैं, जिन्होंने अक्टूबर 2024 में समाप्त हुए पिछले सदस्यों का स्थान लिया है।

बैठक और मतदान की प्रक्रिया :

- मौद्रिक नीति समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार होती है।
- इस समिति की प्रत्येक बैठक के लिए कम से कम चार सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।
- इसके प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट (मत) देने का अधिकार होता है।
- मतों की बराबरी की स्थिति में गवर्नर के पास दूसरा या निर्णा-

यक मत देने का अधिकार होता है।

मौद्रिक नीति रिपोर्ट : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) प्रत्येक छह महीने में एक मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें मुद्रास्फीति की व्याख्या और आगामी 6-8 महीनों के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान दिए जाते हैं।

मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य :

मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. **अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान करना** : आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और समग्र विकास को बढ़ावा देना।
2. **मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर मूल्य स्थिरता बनाए रखना :** मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना।
3. **रोजगार सृजन करना :** रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और बेरोजगारी को कम करना।
4. **विनिमय दर को स्थिर रखना :** विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता बनाए रखना।

मौद्रिक नीति का महत्त्व :

1. **मूल्य स्थिरता बनाए रखने में सहायक** : मूल्य स्थिरता के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है।
2. **आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना :** मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखने और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3. **उपभोग, बचत, निवेश और पूंजी निर्माण का प्रबंधन करना :** यह उपभोग, बचत, निवेश और पूंजी निर्माण जैसे आर्थिक चरों का प्रबंधन करती है।
4. **मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना :** इसके तहत मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाकर व्यापार क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है, जिससे अधिक रोजगार सृजित होता है।
5. **विनिमय दरों को संतुलित करना :** यह बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करके मुद्रा विनिमय दरों को संतुलित करती है।

भारत में मौद्रिक नीति की सीमाएँ :

1. **बैंकिंग सुविधाओं के प्रति जागरूकता का अभाव :** भारत में अधिकांश लोग बैंकिंग सेवाओं के बजाय नकदी का उपयोग करना अधिक पसंद करते हैं। इससे बैंकों की ऋण निर्माण क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है।
2. **अविकसित मुद्रा बाजार :** भारत का मुद्रा बाजार अपेक्षाकृत कमजोर है, जो आरबीआई की नीतिगत कार्रवाइयों की प्रभावशीलता को सीमित करता है। कमजोर बाजार संरचना के कारण आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता है, ऐसी स्थिति मौद्रिक नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालती है।
3. **काला धन (Black Money) :** भारत में काले धन का अस्तित्व में होना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी समस्या है। काले धन का लेन-देन आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं होता, जिससे उधारकर्ता और ऋणदाता अपने लेन-देन को गुप्त रखते हैं। इससे धन की आपूर्ति और मांग असंतुलित रहती है, जो मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन में रुकावट डालता है।
4. **विरोधाभासी उद्देश्य :** आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विस्तारवादी नीतियों की आवश्यकता होती है, जबकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए संकुचनकारी नीतियों की आवश्यकता होती है। इन दोनों उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती है, जिससे मौद्रिक नीति – निर्माण के निन र्धारण में कठिनाई उत्पन्न होती है।
5. **मुद्रा प्रणालियों की सीमाएँ :** भारत में विभिन्न प्रकार की ब्याज दरें मौजूद हैं, जिन्हें समुचित रूप से नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण है। मौद्रिक नीति के अधिकांश उपकरणों में कुछ न कुछ सीमाएँ होती हैं, जो उनकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं।इन सीमाओं के कारण भारत की मौद्रिक नीति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

समाधान और आगे की राह :

1. **ब्याज दरों में संशोधन किया जाना :** मौद्रिक नीति समिति (MPC) की 10वीं बैठक में ब्याज दरों के संबंध में कुछ महध त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। समिति ने यह सुनिश्चित किया कि ब्याज दरों का स्तर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल हो, ताकि उपभोक्ता और व्यवसाय दोनों की निवेश क्षमता बढ़ सके।

2. **महंगाई पर नियंत्रण :** महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया गया। समिति ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को ध्यान में रखते हुए उपायों को लागू करने की योजना बनाई, ताकि आम आदमी की खरीद शक्ति बनाए रखी जा सके।

3. **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना :** इस समिति ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आर्थिक गतिविधियों में सभी वर्गों की भागीदारी हो, विशेष रूप से उन वर्गों की जो पारंपरिक वित्तीय सेवाओं से वंचित रह जाते हैं।

4. **नियमित समीक्षा की आवश्यकता :** समिति ने आगे की बैठकों में आर्थिक संकेतकों की नियमित समीक्षा करने का संकल्प लिया। इससे यह सुनिश्चित होगा कि मौद्रिक नीति समयानुकूल और प्रभावी बनी रहे।

5. **अनुसंधान और विकास :** नीति निर्माण में अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जाएगी, जो मौद्रिक नीति के विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन करेगी।

6. **जन जागरूकता को बढ़ाना :** आर्थिक स्थिरता के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इससे लोगों को मौद्रिक नीतियों और उनके प्रभावों के बारे में समझने में मदद मिलेगी।

7. इस बैठक में लिए गए निर्णयों और विचारों के आधार पर, आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक नई राह प्रशस्त होगी, जो न केवल वर्तमान चुनौतियों का सामना करेगी, बल्कि भविष्य में भी एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था के ढांचा का निर्माण करेगी।

स्रोत – पीआईबी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. मौद्रिक नीति समिति की 10वीं बैठक के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संभावित प्रभावों पर विचार किया गया?

1. लोन की EMI पर प्रभाव
2. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति
3. विदेशी मुद्रा भंडार
4. वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 4

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की 10वीं बैठक में लिए गए निर्णयों, विशेष रूप से रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने और मौद्रिक नीति के रुख को 'तटस्थ' करने के प्रभावों पर चर्चा करें। इस संदर्भ में, यह चर्चा करें कि ये हालिया निर्णय भारतीय अर्थव्यअवस्था पर मुद्रास्फीति, जीडीपी वृद्धि और ऋण बाजार के संभावित प्रभावों को किस प्रकार प्रभावित करेंगे? (शब्द सीमा – 250 अंक -15)

समानता का प्रश्न : घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का दुरुपयोग बनाम धारा 498A

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A (अब भारतीय न्याय संहिता) और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, भारत में सबसे अधिक दुरुपयोग किए जाने वाले कानूनों में शामिल हैं।
- भारत में विवाहित महिलाओं के खिलाफ हो रही क्रूरता और उत्पीड़न को रोकने के लिए सन 1983 में धारा 498A को लागू किया गया था।
- भारत में लागू घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना है। हालांकि, इन कानूनों के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं, जिससे सर्वोच्च न्यायालय ने इन पर पुनर्विचार की आवश्यकता जताई है।
- इस कानून के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस कानून का दुरुपयोग इसका उद्देश्य अमान्य नहीं करता, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 498A :

- भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का प्रावधान विवाहित महिलाओं को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के शिकार होने से बचाने के लिए 1983 में लागू किया गया था।

भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत प्रावधान :

- दंड : इस अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को तीन साल तक की कारावास की सजा दी जा सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- **क्रूरता की परिभाषा :** इसमें जानबूझकर किए गए ऐसे कार्य शामिल हैं, जो किसी महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य (मानसिक या शारीरिक) को गंभीर नुकसान पहुंचाने का जोखिम उत्पन्न करते हैं।
- **शिकायत दर्ज करने का अधिकार :** भारत में इस कानून के तहत शिकायत अपराध से पीड़ित महिला या उसके रक्त – संबंधी , विवाह या दत्तक ग्रहण संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज की जा सकती है और यदि पीड़ित महिला का ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित या नामित कोई भी लोक सेवक शिकायत दर्ज करा सकता है।
- **समय सीमा :** कथित घटना के तीन वर्ष के भीतर शिकायत दर्ज हो जाना चाहिए।
- **संज्ञेय और गैर-जमानती :** भारत में यह अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है, जिसका अर्थ है कि अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है।
- **भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) :** भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 84 इसी प्रावधान से संबंधित है, जिसमें समान उद्देश्यों के तहत उपाय प्रदान किए गए हैं।

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 का परिचय और उद्देश्य :

1. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 भारत की संसद् द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना है और पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता / कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है।
2. भारत में यह 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ।
3. **घरेलू हिंसा की परिभाषा :** इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें शारीरिक,

मानसिक, भावनात्मक, यौनिक या लैंगिक, मौखिक और आर्थिक दुर्व्यवहार को घरेलू हिंसा की श्रेणी में रखता है। इसमें किसी महिला के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाना, धमकी देना, उत्पीड़न करना और संसाधनों से वंचित करना भी शामिल है।

4. **दायरा और कवरेज :** इस अधिनियम के तहत सभी उम्र की महिलाएँ आती हैं, चाहे वह पत्नी, माता, बहन, बेटियाँ या लिव-इन पार्टनर हों। यह उन्हें उनके पति, पुरुष साथी, रिश्तेदारों या घर के अन्य सदस्यों द्वारा की जाने वाली हिंसा से बचाता है।

5. **निवास का अधिकार :** यह अधिनियम महिलाओं को साझा घर में रहने का अधिकार प्रदान करता है, चाहे वह संपत्ति पर उनका कानूनी स्वामित्व हो या न हो।

6. **संरक्षण आदेश :** पीड़ित महिलाएँ न्यायालय से संरक्षण आदेश प्राप्त कर सकती हैं, जो दुर्व्यवहार को रोकने और पीड़िता को उसके कार्यस्थल या निवास में प्रवेश करने से रोकने में मदद करता है।

7. **परामर्श और सहायता सेवाएँ :** इस अधिनियम के तहत सुरक्षा चाहने वाली महिलाओं के लिए विधिक सहायता, चिकित्सा सुविधाएँ, और आश्रय गृह जैसी सहायक सेवाएँ प्रदान करने का प्रावधान अनिवार्य किया गया है।

8. **मौद्रिक राहत और मुआवजा :** इस अधिनियम के तहत महिलाओं को घरेलू हिंसा से होने वाली क्षति (चिकित्सा व्यय, आय की हानि, आदि) के लिए वित्तीय मुआवज़ा मांगने का अधिकार दिया गया है। इसमें न्यायालय पीड़िता के भरण-पोषण के भुगतान का भी आदेश दे सकता है।

9. **त्वरित न्यायिक प्रक्रिया :** इस अधिनियम में घरेलू हिंसा के मामलों के समाधान के लिए समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। इसके तहत मजिस्ट्रेटों को 60 दिनों के भीतर शिकायतों का निपटारा करना आवश्यक है ताकि पीड़िता को समय पर राहत और न्याय मिल सके।

10. **गैर-सरकारी संगठनों (NGO) की भूमिका :** यह अधिनियम गैर सरकारी संगठनों और महिला संगठनों को शिकायत दर्ज करने और पीड़ितों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने में मदद करने की अनुमति देता है।

घरेलू हिंसा में योगदान देने वाले प्रमुख कारक :

घरेलू हिंसा में योगदान देने वाले कारक निम्नलिखित हैं –

1. **सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड :** कई समाजों में घरेलू हिंसा को मौन स्वीकृति दी जाती है, खासकर जब यह निजी स्थानों में होती है। सांस्कृतिक मान्यताएँ महिलाओं को अपनी बात रखने या मदद मांगने से हतोत्साहित करती हैं, जिससे दुर्व्यवहार का चक्र जारी रहता है।

2. **पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना :** पितृसत्तात्मक मानदंडों की गहरी जड़ें लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती हैं, जिससे पुरुषों का वर्चस्व और महिलाओं पर नियंत्रण मजबूत होता है। इस कारण घरेलू हिंसा को अधिकार जताने का एक साधन मान लिया गया है। इससे घरों में अधिकार जताने के साधन के रूप में हिंसा सामान्य बन गई है।

3. **परिवार में पुरुष सदस्यों पर आर्थिक निर्भरता :** महिलाएँ जब आर्थिक रूप से पुरुष सदस्यों पर निर्भर होती हैं, तो अक्सर उन्हें घरेलू हिंसा सहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आर्थिक स्वतंत्रता की कमी उन्हें अपमानजनक रिश्तों को छोड़ने या कानूनी सहायता लेने में सीमित कर देती है।

4. **मनोवैज्ञानिक कारक :** क्रोध प्रबंधन की समस्याएँ और अनसुलझे आघात व्यक्तियों को परिवार के सदस्यों के प्रति हिंसक व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दुर्व्यवहार करने वाले लोग अपने कार्यों को नियंत्रण और अधिकार की विकृत धारणाओं के माध्यम से उचित ठहरा सकते हैं।

5. **दहेज और विवाह से असंतुष्टि के कारण होने वाले वैवाहिक विवाद :** दहेज से संबंधित हिंसा घरेलू हिंसा का एक महत्वपूर्ण कारक है। दहेज की मांग या विवाह से असंतुष्टि के कारण होने वाले विवाद अक्सर महिलाओं के विरुद्ध भावनात्मक या शारीरिक हिंसा का कारण बनते हैं।

6. **मादक द्रव्यों का सेवन :** शराब और मादक औषधियों का सेवन घरेलू हिंसा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नशे में धुत्त व्यक्ति आक्रामक व्यवहार कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप परिवारों में शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार हो सकता है।

7. **शिक्षा और जागरूकता का अभाव :** सामान्य तौर पर लोगों

में विधिक अधिकारों और सहायता तंत्र के संबंध में सीमित शिक्षा और जागरूकता की कमी घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती है।

8. **हिंसा का अंतर-पीढ़ी संचरण :** अपने घरों में घरेलू हिंसा को देखने वाले बच्चे बड़े होकर इस व्यवहार को दोहराने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे घरेलू हिंसा का चक्र पीढ़ियों तक चलता रहता है।

9. **कमज़ोर कानून प्रवर्तन और न्यायिक विलंब :** अप्रभावी कानून प्रवर्तन या कानून प्रवर्तन की कमी और विलंबित न्याय घरेलू हिंसा की पुनरावृत्ति में योगदान देते हैं। पीड़ित अक्सर प्रतिशोध के भय या व्यवस्था में अविश्वास के कारण विधिक सहायता लेने से हतोत्साहित होते हैं।

घरेलू हिंसा के तहत प्रदत्त कानूनी उपायों का दुरुपयोग कैसे किया जाता है ?

1. **तत्काल गिरफ्तारी और प्रारंभिक जाँच का अभाव :** धारा 498A एक गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध है। धारा 498A के तहत, बिना पूर्व जांच के तत्काल गिरफ्तारी संभव है, जिसका दुरुपयोग अभियुक्त पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप अनुचित तरीके से हिरासत में लिया गया या दोष सिद्ध होने से पहले ही आरोपी और उसके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता है।

2. **व्यक्तिगत लाभ हेतु झूठे आरोप :** घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और धारा 498A का कभी-कभी दुरुपयोग किया जाता है, जिसके तहत पति और उनके परिवारों को परेशान करने के लिए झूठी शिकायतें दर्ज की जाती हैं। इन प्रावधानों का उपयोग व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए या वैवाहिक विवादों में लाभ उठाने के लिए किया जाता है, जिसमें संपत्ति के निपटान, रखरखाव के दावे या हिरासत के प्रति लड़ाई शामिल होते हैं।

3. **वित्तीय समझौते के लिए दबाव :** झूठे मामलों का उपयोग पतियों को वित्तीय समझौते करने या गुज़ारा भत्ता देने के लिए मजबूर करने में किया जाता है। गिरफ्तारी या लंबी कानूनी लड़ाई के भय से प्रायः आरोपी अनुचित मांगों को मानने के लिए मजबूर हो जाता है।

4. **अभियुक्त को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक क्षति :** घरेलू हिंसा के आरोपों से संबंधित कलंक अभियुक्त की सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसिक स्वास्थ्य और पेशेवर जीवन को अपूरणीय क्षति पहुँचा सकता है। यदि आरोपी को बरी भी कर दिया जाता है, तो भी आरोपों से संबंधित नकारात्मक धारणा के कारण उसे दीर्घकालिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

5. **दुरुपयोग पर न्यायिक टिप्पणियाँ :** भारत में विभिन्न न्यायालयों ने धारा 498A और घरेलू हिंसा अधिनियम के दुरुपयोग को स्वीकार किया है, और इसमें नीतिगत सुधारों की मांग की है, जिसमें गिरफ्तारी से पहले उचित जांच की आवश्यकता भी शामिल है। घरेलू हिंसा एक जटिल सामाजिक समस्या है, जिसमें कई कारक शामिल हैं। इसके प्रभावी समाधान के लिए सामाजिक, आर्थिक और कानूनी सुधारों की अत्यंत आवश्यकता है।

समाधान / आगे की राह :

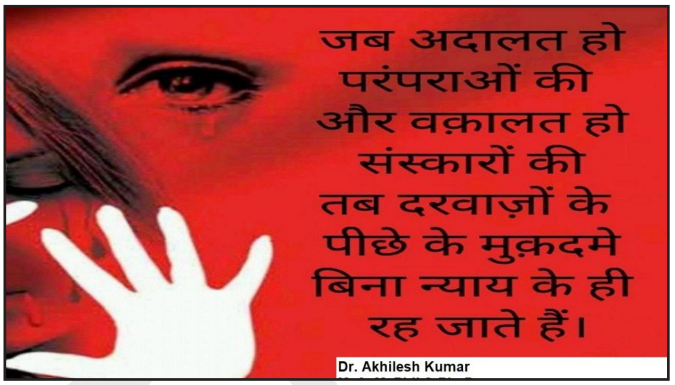

1. **विधि के अंतर्गत जमानती और गैर-संज्ञेय अपराधों के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की जरूरत :** जमानती अपराध : ऐसे अपराध जिनमें आरोपी को जमानत मिल सकती है। उदाहरण: चोरी, धोखाधड़ी। गैर-संज्ञेय अपराध : ऐसे अपराध जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकती। उदाहरण: हत्या, बलात्कार।

2. **गिरफ्तारी से पहले गहन जाँच की उचित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता :** किसी भी गिरफ्तारी से पहले पुलिस को गहन जाँच की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए ताकि निर्दोष व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।

3. **महिलाओं को हुए नुकसान और आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करना :** महिलाओं को हुए नुकसान की सीमा को ध्यान में रखते हुए, परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी में आनुपातिकता का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए।

4. **मिथ्या और भ्रामक शिकायतों के लिए जिम्मेदार ठहराने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता :** मिथ्या और भ्रामक शिकायतें करने वाले व्यक्तियों को कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। जिससे घरेलू हिंसा से संबंधित कानून का दुरुपयोग कम – से – कम हो सके और निर्दोष व्यक्ति को बचाया जा सके।

5. **लैंगिक आधारित न्यायपूर्ण कानून को बढ़ावा देने की जरूरत :** भारत को ऐसे कानून लागू करने चाहिए जो लैंगिक न्याय को बढ़ावा दें, जिसमें पुरुषों के विरुद्ध घरेलू हिंसा को भी मान्यता दी जाए। इस प्रकार के कानून देश में लैंगिक

आधार पर समानता को बढ़ावा देंगे और लैंगिक भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।

6. **समावेशी समाज के लिए विधिक ढाँचे की स्थापना अत्यंत जरूरी :** किसी भी प्रकार के लैंगिक आधार पर होने वाले भेदभाव, हिंसा और आर्थिक असमानताओं से निपटने के लिए एक समावेशी विधिक ढाँचे की स्थापना की अत्यंत आवश्यक है, जो समावेशी समाज के निर्माण में सहायक हो।

स्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए।

किसी महिला के साथ मौखिक और आर्थिक दुर्व्यवहार करना।

शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करना।

लैंगिक या यौनिक पहचान के आधार पर भेदभाव करना।

किसी महिला के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाना, धमकी देना, उत्पीड़न करना और संसाधनों से वंचित करना।

उपर्युक्त स्थितियों में से किन स्थितियों को घरेलू हिंसा के तहत परिभाषित किया किया गया है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

व्याख्या :

- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, यौनिक या लैंगिक, मौखिक और आर्थिक दुर्व्यवहार को घरेलू हिंसा की श्रेणी में रखता है। इसमें किसी महिला के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाना, धमकी देना, उत्पीड़न करना और संसाधनों से वंचित करना भी शामिल है।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और धारा 498A के दुरुपयोग के संदर्भ में, लैंगिक समानता की प्राप्ति हेतु लैंगिक तटस्थ कानूनों के लागू करने से संबंधित संभावित लाभों और चुनौतियों पर सामाजिक और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत चर्चा करें। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

महिलाओं में होने वाले ओवेरियन कैंसर : लक्षण, निदान और उपचार

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च, जो विश्व की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी
- व्यावसायिक संस्था है, ने सितंबर माह को डिंबग्रंथि (ओवेह रियन) कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाने के लिए मान्यता प्रदान की है, जिसका उद्देश्य यह माह इस घातक स्त्री रोग संबंधी कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- भारत में प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और इसके शीघ्र निदान को प्रोत्साहित करना है।
- मानव जीवन के स्वास्थ्य से संबंधित इस प्रकार के जागरूकता अभियानों का मुख्य उद्देश्य लोगों को कैंसर के लक्षणों, जोखिम कारकों और उसके शीघ्र निदान एवं उपचार के महत्व के बारे में जानकारी देना है, जिससे इस रोग से ग्रसित लोगों का समय पर उपचार संभव हो सके और उसके जीवन बचाया जा सके।

ओवेरियन कैंसर क्या है ?

- डिंबग्रंथि (ओवेरियन) कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो अंडाशय (डिंबग्रंथि) के ऊतकों में उत्पन्न होता है। अंडाशय महिलाओं के जनन अंगों का एक युग्म है, जो डिंब और महिला हार्मोन का निर्माण या उत्पादन करता है। कैंसर की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब शरीर की कोशिकाएँ अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर का निर्माण करती हैं। अतः महिलाओं में होने वाली ओवेरियन कैंसर, कैंसर की एक

ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर की असामान्य कोशिकाएँ अनियंत्रित रूप से बढ़कर ट्यूमर का रूप ले लेती हैं।

भारत में ओवेरियन कैंसर की स्थिति :

- भारत में महिलाओं में होने वाले सभी प्रकार के कैंसर में ओवेरियन कैंसर का योगदान 6.6% है। यह कैंसर अक्सर विलंबित निदान की समस्या से ग्रस्त होता है, जो जीवित रहने की दर को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
- ओवेरियन कैंसर भारत में महिलाओं को प्रभावित करने वाले शीर्ष 3 कैंसरों में से एक प्रमुख कैंसर है जिसमें से अन्य दो प्रमुख कैंसर स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर हैं।
- वर्ष 2022 में इस रोग से संबंधित सांख्यिकी के अनुसार भारत में ओवेरियन कैंसर के 47,333 नए मामले सामने आए और इस बीमारी के कारण 32,978 लोगों/ रोगियों की मृत्यु हो गई थी।
- ओवेरियन कैंसर की शीघ्र पहचान और प्रभावी उपचार की आवश्यकता को दर्शाता है, ताकि इसके गंभीर प्रभावों को कम किया जा सके और इस रोग से ग्रसित रोगियों की जीवन रक्षा दर को बेहतर बनाया जा सके।
-

डिंबग्रंथि/ओवेरियन कैंसर के प्रमुख लक्षण :

डिंबग्रंथि कैंसर के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है –

- पेट फूलना : पेट में सूजन या खिंचाव महसूस होना।
- पैल्विक (श्रोणि) दर्द होना : श्रोणि क्षेत्र में असहजता कि स्थिति उत्पन्न होना या दर्द होना।
- भूख न लगना : खाने की इच्छा में कमी आ जाना।
- बार-बार पेशाब आना : लगातार पेशाब करने के लिए जाना।
- अपच और कब्ज होना : पाचन में समस्या और कब्ज की शिकायत रहना।
- पीठ में दर्द होना : अक्सर निचली पीठ में दर्द होना।
- लगातार थकान महसूस करना : सामान्य से अधिक थकावट महसूस होना।
- वजन कम हो जाना : बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन में कमी होना।
- रजोनिवृत्ति के बाद योनि से रक्तस्राव : महिलाओं की रजोनिवृत्ति के बाद भी योनि से रक्तस्राव होना। इस तरह के लक्षण अक्सर अन्य सामान्य स्थितियों के साथ मेल खाते हैं, जिससे रोग का सही निदान कठिन हो सकता है और उपचार में देरी हो सकती है।

ओवेरियन कैंसर के प्रकार :

यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं –

1. प्रकार I – यह सामान्यतः शीघ्र और बेहतर निदान योग्य होता है।
2. प्रकार II – यह अधिक गंभीर होता है और आमतौर पर बाद के चरण में पता चलता है, जिससे ओवेरियन कैंसर से होने वाली अधिकांश मौतों के लिए जिम्मेदार होता है।

जीवित रहने की दर :

- इस रोग से ग्रसित महिलाओं में यह बहुत हद तक उस चरण पर निर्भर करता है, जिस चरण में इस कैंसर का पता चलता है। शोध से पता चलता है कि गंभीर ओवेरियन कैंसर से पीड़ित लगभग 20% रोगी, जिन्हें समय पर उचित उपचार प्राप्त हो जाता है, वह लगभग 10 वर्षों में इस रोग से रोग-मुक्त हो सकते हैं।

ओवेरियन कैंसर के लिए स्क्रीनिंग चुनौतियाँ :

- महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर या सर्वाइकल कैंसर के विपरीत, ओवेरियन कैंसर के लिए कोई प्रभावी स्क्रीनिंग टेस्ट अभी तक उपलब्ध नहीं है। निदान किए गए मामलों की मॉनिटरिंग के लिए CA125 रक्त परीक्षण उपयोगी होते हुए भी इसकी सीमित विशिष्टता और गलत सकारात्मक परिणाम की संभावना के कारण रूटीन स्क्रीनिंग के लिए इसको इस रोग के उपचार के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।

आनुवंशिक कारक :

- ओवेरियन कैंसर में एक प्रबल आनुवंशिक घटक होता है, जिसमें 65-85% आनुवंशिक मामले BRCA1 और BRCA2 जीन उत्परिवर्तन से जुड़े होते हैं। इन उत्परिवर्तनों वाली महिलाओं को ओवेरियन कैंसर होने का खतरा काफी अधिक होता है।

जीवनशैली कारक :

- टैल्कम पाउडर और केश-उत्पादों में पाए जाने वाले रसायनों के संपर्क सहित कुछ जीवनशैली विकल्पों को ओवेरियन कैंसर के संभावित जोखिम कारकों के रूप में चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT), जो रजोनिवृत्ति के दौरान वासोमोटर और योनि असुविधा के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए की जाती है, से भी इस कैंसर के होने का जोखिम बढ़ जाता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

भारत में कैंसर के उपचार से संबंधित विभिन्न सरकारी पहलें :

कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS) :

- भारत सरकार ने विभिन्न गैर-संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें कैंसर भी शामिल है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कैंसर की रोकथाम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्क्रीनिंग, जाक गरूकता अभियानों, और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें तंबाकू नियंत्रण, पोषण और जीवनशैली में सुधार, और नियमित स्वास्थ्य जांच को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि कैंसर की संभावनाओं को कम किया जा सके और समय पर निदान हो सके।

राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड (NCG) को अपनाना :

- राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड एक नेटवर्क है जो देशभर के कैंसर केंद्रों, अनुसंधान संस्थानों और चिकित्सा कॉलेजों को जोड़ता है। इसका उद्देश्य कैंसर के उपचार में समानता और गुणवत्ता सु-निश्चित करना है। यह ग्रिड कैंसर के उपचार के लिए मानक प्रोटोकॉल विकसित करता है और अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है।

राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाना :

- भारत में प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक करना और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी देना है। इस दिन विभिन्न जागरूकता का-र्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर और स्क्रीनिंग कैंप आयोजित किए जाते हैं।

HPV वैक्सीन का उपयोग करना :

- भारत सरकार ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) वैक्सीन को शामिल किया है। यह वैक्सीन 9-14 आयु वर्ग की बालिकाओं को दी जाती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2023 में स्वदेशी HPV वैक्सीन 'CERVAVAC' लॉन्च की थी। इन पहलों के माध्यम से भारत सरकार कैंसर की रोकथाम, पहचान और उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

ओवेरियन कैंसर के जोखिमों को कम करने के प्रमुख उपाय :

- **जेनेटिक काउंसलिंग :** ओवेरियन या स्तन कैंसर से जुड़े पा-रिवारिक इतिहास या BRCA1/BRCA2 उत्परिवर्तन वाली महिलाओं के लिए, जो जोखिम प्रबंधन और निवारक उपायों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

- **स्वस्थ आहार शैली अपनाना :** फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार ओवेरियन कैंसर के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकता है।

- **शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम करना :** आहार और व्यायाम के माध्यम से स्वस्थ शारीरिक वजन बनाए रखना इस कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है।

- **नियमित स्त्री रोग संबंधी जाँच की आवश्यकता होना :** इस रोग का पता लगाने के लिए जनन स्वास्थ्य की निगरानी और नियमित स्त्री रोग से संबंधित जाँच की आवश्यकता होती है।

- इन उपायों को अपनाकर ओवेरियन कैंसर के जोखिम को कम किया जा सकता है और रोग के निदान एवं उपचार में सुधार किया जा सकता है।

स्रोत – द हिंदू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. महिलाओं में ओवेरियन कैंसर के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

A. ओवेरियन कैंसर की शुरुआत अक्सर पेट के नीचे के हिस्से में दर्द और सूजन से होती है।

B. ओवेरियन कैंसर की पहचान के लिए सबसे प्रभावी निदान विधि एकमात्र रक्त परीक्षण (CA-125 स्तर) है।

C. ओवेरियन कैंसर का इलाज सर्जरी और कीमोथेरपी के संयोजन से किया जा सकता है।

D. शुरुआती अवस्था में ओवेरियन कैंसर के लक्षण अक्सर कम स्पष्ट होते हैं।

उत्तर – B

व्याख्या :

- ओवेरियन कैंसर की पहचान के लिए सबसे प्रभावी निदान विधि एकमात्र रक्त परीक्षण (CA-125 स्तर) है। यह कथन गलत है, क्योंकि CA-125 स्तर रक्त परीक्षण ओवेरियन कैंसर का निदान करने में सहायक हो सकता है, लेकिन यह एकमात्र विधि नहीं है। ओवेरियन कैंसर की पहचान के लिए सबसे प्रभावी अन्य निदान विधियों में अल्ट्रासोनोग्राफी, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी (CT) स्कैन और कभी-कभी PET स्कैन भी शामिल होते हैं। अतः विकल्प B सही उत्तर है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. " महिलाओं में ओवेरियन कैंसर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है।" इस कथन के संदर्भ में, चर्चा कीजिए कि ओवेरियन कैंसर के प्रमुख लक्षण और संकेत क्या हैं? इसके निदान के लिए वर्तमान में उपलब्ध परीक्षण विधियाँ कौन-कौन सी हैं और इन परीक्षण विधियों के संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में केंद्र सरकार ने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है।
- यह योजना भारत सरकार द्वारा युवाओं को कार्य अनुभव प्राप्त करने में सहायता देने के लिए शुरू की गई है।
- इसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री ने 23 जुलाई 2024 को अपने बजट भाषण के सत्र में की थी और यह 3 अक्टूबर 2024 से पूरे देश लागू हो चुकी है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में बेरोजगार युवाओं को नौकरी पाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। योजना का लक्ष्य 2029 तक एक करोड़ इंटर्नशिप प्रदान करना है, जिसमें 1.25 लाख इंटर्न के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट दिसंबर 2024 में शुरू होगा।
- देश के बेरोजगार युवा 12 अक्टूबर, 2024 की शाम से ही पीएम इंटर्नशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- 11 अक्टूबर, 2024 को पीएम इंटर्नशिप योजना के पोर्टल पर पोस्ट किए गए अवसरों की संख्या बढ़कर 90,849 हो गई है।
- यह योजना भारत में बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को कौशल विकास के अवसर, रोजगार प्रशिक्षण और कार्य अनुभव प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का परिचय :

- भारत में केंद्र सरकार द्वारा आरंभ प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना एक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है।
- इस योजना से युवाओं को बड़ी कंपनियों में काम करने का अनुभव प्राप्त होगा और उन्हें विभिन्न नौकरियों एवं उद्योगों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा।
- यह योजना मुख्य रूप से बेरोजगार युवाओं को नौकरी पर प्रशिक्षण देकर उनकी सहायता करने के लिए केंद्र द्वारा वित्तपोषित की गई है।
- इसका लक्ष्य शिक्षा और नियोक्ताओं के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल के बीच की खाई को भरना/ पाटना है।
- इस योजना का संचालन एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिसे 3 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था।
- यह ऑनलाइन पोर्टल विभिन्न सरकारी एवं निजी कंपनियों और संभावित प्रशिक्षुओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा।
- इस योजना का उद्देश्य मार्च 2029 तक एक करोड़ इंटर्नशिप सृजित करना है, लेकिन इस योजना को एक पायलट परियोजना के तहत दिसंबर 2024 में 1.25 लाख इंटर्न के लिए कार्यक्रम शुरू करेगा।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के प्रमुख लाभ :

1. **व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होना :** इस योजना के अंतर्गत प्र-

शिक्षुओं को वास्तविक व्यवसायिक वातावरण में काम करने का अनुभव प्राप्त होगा, जिससे उनकी पेशेवर दक्षता में सुधार होगा।

2. **वित्तीय सहायता प्राप्त होना :** इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप के दौरान छात्रवृति प्रदान किया जाएगा, जिससे इंटर्न अपने बुनियादी खर्चों को पूरा कर सकेंगे।

3. **कैरियर और नौकरी के अवसरों का विस्तार होना :** बेरोजगार युवाओं के द्वारा इंटर्नशिप के दौरान प्राप्त हुए वास्तविक अनुभव छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाएगा और भविष्य में नौकरी के अवसरों का विस्तार करेगा।

4. **प्रमाणन/ प्रमाण पत्र प्राप्त होना :** इस योजना के माध्यम से प्राप्त किए गए अनुभव और प्रमाणन/ प्रमाण पत्र पाए छात्रों को रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त में आगे बढ़ने की सुनिश्चिता को प्रदान करेगा।

5. **सफलता का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करना :** केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस पायलट परियोजना की सफलता का आकलन इंटर्नशिप के बाद ड्रॉपआउट दरों, शिकायतों और रोजगार दरों के आधार पर किया जाएगा, जिससे योजना के भविष्य में सुधार किया जा सकेगा।

6. **इंटर्नशिप का अवसर प्राप्त करने का मौका मिलना :** इस योजना के तहत भारत के बेरोजगार युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में इंटर्नशिप करने की पेशकश की जाएगी, जिससे छात्रों को व्यावहारिक कौशल – ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा।

7. **देश की शीर्ष और सबसे बेहतरीन कंपनियों में काम करने का अवसर मिलना :** इसके तहत इंटर्नशिप भारत की शीर्ष 500 कंपनियों द्वारा प्रदान की जाएगी, जिससे छात्रों को देश की सबसे बेहतरीन कंपनियों में काम करने का अवसर मिलेगा।

8. **इंटर्नशिप की पूरी अवधि :** इस योजना के तहत प्रत्येक इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने तक चलेगी, जो छात्रों को सीखने और देश के अर्थव्यवस्था में सार्थक योगदान देने का पर्याप्त समय प्रदान करेगी।

9. **छात्रवृत्ति की कुल राशि :** इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षुओं को केंद्र सरकार से ₹4,500 और कंपनियों से ₹500 की मासिक छात्रवृत्ति मिलेगी, जिससे कुल मिलाकर उन्हें ₹5,000 प्रति माह मिलेंगे।

10. **बीमा कवरेज प्रदान किया जाना :** इसके तहत प्रत्येक प्रशिक्षुओं को पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज भी प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह योजना युवाओं को कौशल, अनुभव और आत्मविश्वास प्रदान करके उनकी रोजगार क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार करने में सहायक सिद्ध होगी।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवश्यक पात्रता :

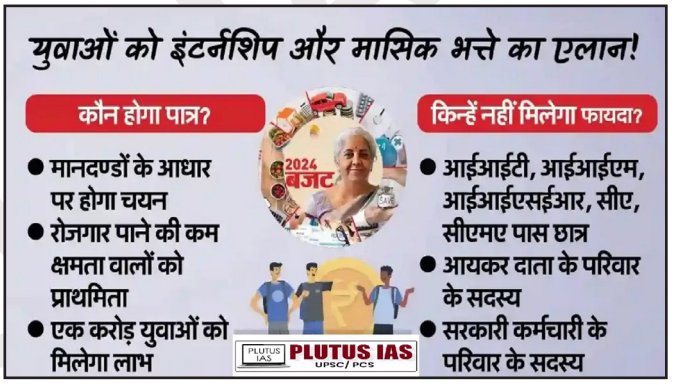

- **आयु सीमा :** आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

- **शैक्षणिक योग्यता :** उम्मीदवारों को हाई स्कूल, आईटीआई डिप्लोमा, या स्नातक की डिग्री जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए या बीबीए पूरी करनी चाहिए।

- **पूर्णकालिक रोजगार या शिक्षा से जुड़े नहीं हों :** उम्मीदवारों को पूर्णकालिक रोजगार या पूर्णकालिक शिक्षा में संलग्न नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित अभ्यर्थी पात्र माने जाएंगे।

- **भारत के विशिष्ट संस्थान के छात्र नहीं हों :** आईआईटी, आईआईएम, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, आईआईएसईआर, एनआईडी या आईआईआईटी जैसे विशिष्ट संस्थानों से स्नातक उम्मीदवार पात्र नहीं हैं।

- **उच्च शैक्षणिक योग्यता धारण करने वाले पात्र नहीं होगें :** सीए, सीएमए, सीएस, एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीए, पीएचडी या किसी भी मास्टर डिग्री या उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे।

- **केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य कार्यक्रमों में भागीदार नहीं हों :** केंद्र या राज्य सरकार की योजना के तहत किसी भी कौशल, प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप या प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले उम्मीदवार पात्र नहीं हैं।

- **राष्ट्रीय प्रशिक्षुता कार्यक्रम पूरी कर लेने वाले पात्र नहीं होंगे :** जिन्होंने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) या राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत प्रशिक्षुता पूरी कर ली है, वे पात्र नहीं हैं।

- **वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक होने वाले पात्र नहीं :** जिन अभ्यर्थियों के परिवार के सदस्यों की वित्तीय वर्ष 2023-24 या 2024-25 के लिए आय 8 लाख रुपए से अधिक है, वे पात्र नहीं होंगे।

- **परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी या स्थायी अथवा नियमित कर्मचारी होने पर पात्र नहीं होंगे :** यदि परिवार का कोई सदस्य (स्वयं, माता-पिता या पति/पत्नी) स्थायी/नियमित सरकारी कर्मचारी है (संविदा कर्मचारियों को छोड़कर), तो उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे। यहाँ "सरकार" में केंद्र और राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), वैधानिक संगठन और स्थानीय निकाय शामिल हैं। यह पात्रता मानदंड उम्मीदवारों को योजना के तहत चयनित करने में सहायता करेगा।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के क्रियान्वयन की राह में मुख्य चुनौतियाँ :

1. **कम औद्योगिकीकृत राज्यों में उचित प्लेसमेंट की चुनौतियाँ :** बिहार जैसे कम औद्योगिकीकृत राज्यों में प्रशिक्षुओं के लिए उचित प्लेसमेंट ढूंढना एक बड़ी चुनौती है। यहां उद्योगों की कमी के कारण इंटर्नशिप के अवसर सीमित होते हैं, जिससे छात्रों को वांछित अनुभव प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

2. **कार्यस्थल कौशल को विकसित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता :** इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को कार्यस्थल कौशल को विकसित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आधुनिक उद्योगों में आवश्यक कौशल, जैसे कि तकनीकी दक्षता, समस्या समाधान और प्रबंधन कौशल, का विकास सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

3. **डिजिटल कौशल की कमी से रोजगार क्षमता का प्रभावित होना :** वैश्विक स्तर पर तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिवेश में, प्रशिक्षुओं के लिए डिजिटल कौशल का होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में डिजिटल कौशल को शामिल करने में कमी, छात्रों की रोजगार क्षमता को प्रभावित कर सकती है।

4. **सॉफ्ट स्किल्स का अभाव होना :** नौकरी के लिए केवल तकनीकी कौशल ही नहीं, बल्कि सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि संवाद कौशल, टीम वर्क, और नेतृत्व क्षमता भी आवश्यक हैं। इन कौशलों के विकास पर ध्यान न देने से प्रशिक्षुओं की पेशेवर दक्षता प्रभावित हो सकती है।

5. **बाजार की बदलती जरूरतों के अनुसार कौशल प्राप्त करने में सक्षम होना जरूरी :** उद्योगों की मांग लगातार बदल रही है, और प्रशिक्षुओं को इन बदलती जरूरतों के अनुसार कौशल प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। योजना को समय-समय पर अद्यतन करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशिक्षु उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित हो रहे हैं।

6. **संवेदनशीलता और जागरूकता की कमी होना :** देश में कई छात्रों और अभिभावकों को इस योजना के लाभों और पात्रता मानदंडों के बारे में जानकारी नहीं होती, जो उन्हें योजना से लाभ उठाने से रोकती है। जागरूकता कार्यक्रमों की कमी इस योजना की प्रभावशीलता को सीमित कर सकती है।

7. **इंटर्नशिप के बाद स्थायी रोजगार पाने में अनिश्चितता का होना :** इंटर्नशिप पूरी करने के बाद, छात्रों को स्थायी रोजगार पाने में कठिनाई हो सकती है। यदि इंटर्नशिप अनुभव उद्योग के अनुरूप नहीं है, तो यह उनके करियर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में समाधान की राह :

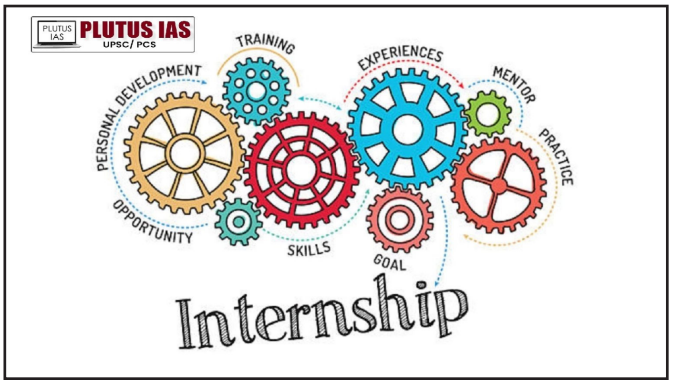

1. **प्लेसमेंट नेटवर्क का एक मजबूत नेटवर्क विकसित किया जाना :** बिहार जैसे कम औद्योगिकीकृत राज्यों में प्लेसमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत नेटवर्क विकसित किया जा सकता है। स्थानीय उद्योगों, व्यवसायों और संगठनों के साथ साझेदारी करके प्रशिक्षुओं को उचित इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। विशेष रूप से, सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को शामिल करना एक प्रभावी

रणनीति हो सकती है।

2. **विशेष कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना :** कार्यस्थल कौशल के विकास के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। ये कार्यक्रम तकनीकी, डिजिटल और सॉफ्ट स्किल्स दोनों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ताकि प्रशिक्षुओं को समग्र विकास प्राप्त हो सके। इसके लिए उद्योग विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा सकता है, जो अपने अनुभवों के माध्यम से छात्रों को मार्गदर्शन कर सकें।

3. **आधुनिक कार्यस्थलों की मांगों के अनुसार डिजिटल कौशल प्रशिक्षण की जरूरत :** तेजी से बदलते तकनीकी वातावरण में, प्रशिक्षुओं को डिजिटल कौशल में दक्ष बनाने के लिए विशेष पाठ्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित की जा सकती हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि वे आधुनिक कार्यस्थलों की मांगों के अनुसार तैयार हैं।

4. **प्रशिक्षुओं की पेशेवर दक्षता में सुधार करना और सॉफ्ट स्किल्स का समावेशन करना :** सॉफ्ट स्किल्स के विकास के लिए विशेष कार्यशालाओं और गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है। इसमें टीम वर्क, संचार कौशल, समस्या समाधान और नेतृत्व क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे प्रशिक्षुओं की पेशेवर दक्षता में सुधार होगा।

5. **बाजार की जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम को नियमित रूप से अद्यतन करने की जरूरत :** इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बाजार की जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम को नियमित रूप से अद्यतन करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशिक्षु उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुरूप कौशल प्राप्त कर रहे हैं। उद्योग के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना और उनके सुझावों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

6. **जन – जागरूकता कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन किया जाना :** इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले लाभों और पात्रता मानदंडों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाना चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक संगठनों के माध्यम से इन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है, जिससे अधिक से अधिक छात्र इस योजना का लाभ उठा सकें।

7. **इंटर्नशिप के बाद रोजगार पाने के लिए करियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट सहायता प्रदान :** इंटर्नशिप के बाद छात्रों को स्थायी रोजगार में सहायता के लिए करियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट सहायता प्रदान की जा सकती है। यह उन्हें अपने कौशल और अनुभव के अनुसार उचित नौकरी खोजने में मदद करेगा। इन उपायों को अपनाकर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे प्रशिक्षुओं को अधिक अवसर और बेहतर अनुभव प्रदान किया जा सके।

स्त्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए।

1. भारत में युवाओं को पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करना।
2. युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करना।
3. कौशल विकास में मदद करना।
4. बीमा कवरेज की सुविधा प्रदान किया जाना।

उपर्युक्त में से कौन सी स्थिति प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का मुख्य उद्देश्य है?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D.

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में बेरोजगारी की समस्या और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के बीच के संबंधों का विश्लेषण करते हुए यह चर्चा कीजिए कि इस योजना में सुधार के लिए किन प्रमुख तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे युवाओं को अधिचकतम लाभ मिल सके और अधिक से अधिक रोजगार सृजन सुनिश्चित किया जा सके ?

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

Q.2. हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें। क्या आपको लगता है कि इससे भारत में बेरोजगारी की दीर्घकालिक समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी?

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

PLUTUS IAS UPSC/ PCS